न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 825/10

संस्थित दिनाँक-21.12.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

प्रभूदयाल पुत्र राजाराम जाटव उम्र 32 साल निवासी बडोनकलां थाना गोराघाट जिला दतिया म०प्र०अभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 12.07.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337 के अधीन अभियोग है कि उसने दिनांक 11.06.10 को 17 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड छीमका—बूटी कुईया के बीच वाहन डंफर कमांक एम0पी0—06 ई 5531 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर फरियादी शिवमोहन को उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आहतगण चक्रपाण, कमलेश, शंकरदास, दिनेशिसंह तथा रतीराम द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिवि० की धारा 337 एवं 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा आहत शिवमोहन के संबंध में संहिता की धारा 337 एवं 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 11.06.10 को सांय करीब 5 बजे फिरयादी शिवमोहन, आहत शंकरदास, कमलेश, चक्रपाण, दिनेश, रतीराम के साथ जीप से ग्वालियर जा रहे थे। जीप को दिनेश बाबा चला रहा था। बूटी कुईया व छीमका के बीच पहुंचे तभी ग्वालियर तरफ से एक डंफर एम0पी0–06 ई0–5531 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी जीप में टक्कर मार दी जिससे जीप के आगे का हिस्सा टूट गया। चालक डंफर को वहीं छोडकर भाग गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0 कमांक 88/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय एवं एक्सरे परीक्षण कराए गए, घटना स्थल का

नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्त ने उसके निर्दोष होने तथा क्लेम पाने के लिए झूंडा फंसाए जाने का कथन किया है।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —
 1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.06.10 को 17 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड छीमका—बूटी कुईया के बीच वाहन डंफर कमांक एम0पी0—06 ई 5531 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर फरियादी शिवमोहन को उपहति कारित की।?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में शिवमोहन अ०सा० 1, डा० जी०आर० शाक्य अ०सा० 2, रामकरन शर्मा अ०सा० 3, दिनेश अ०सा० 4, रतीराम अ०सा० 5, चक्रपाण अ०सा० 6, कमलेश अ०सा० 7, बालकृष्ण जोशी अ०सा० 8, डा० एस०के० माहेश्वरी अ०सा० 9, शंकरदास अ०सा० 10 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. फरियादी शिवमोहन अ0सा0 1 कथन करते हैं कि उनकी साक्ष्य दिनांक 06.05.16 से 5-6 साल पहले गर्मी के समय दोपहर की बात है वे जीप से ग्राम सोंधा से छीमका होते हुए मुरैना जा रहे थे। उनके साथ बाबा देवीदास व दो चार अन्य लोग थे। जीप को बाबा चला रहे थे। छीमका के पास एक डंफर ग्वालियर तरफ से आ रहा था जिसमें गिट्टी भरी थी। डंफर लहराकर उनकी जीप तरफ गलत दिशा में आया और जीप में टक्कर मार दी जिससे बाबा को चोट आई, इसके अलावा जो लोग बेठे थे उनमे कई को चोट आई। बाबा के गांव के एक व्यक्ति की एक्सीडेट में नाक कट गयी। साक्षी स्वयं को पीठ व हाथ में चोट आना बताता है किन्तु कथित डंफर का नंबर याद न होने का कथन करता है। साक्षी यह भी कथन करता है कि चोट लगने के कारण वह नहीं देख पाया कि डंफर कौन चला रहा था और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। साक्षी कथन करता है कि डंफर खेत में खडा हो गया और उसका चालक भाग गया। साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में सुझाव दिया कि रिपोर्ट प्रपी0 1 में लिखा डंफर नंबर एम0पी0-06 ई-5531 सही लिखा है। यह साक्षी

प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करता है कि डंफर का नंबर उसने नहीं लिखाया बल्कि पुलिस घटनास्थल से डंफर ले आई थी उसी के आधार पर लिखा है। साक्षी यह भी बताता है कि डंफर भिण्ड का है यह बात भी पुलिस ने उसे बताई थी। इस प्रकार से यह साक्षी अपने स्वभाविक परीक्षण में कथित डंफर का नंबर बताने में अस्मर्थ रहा है किन्तु उसे ध्यान दिलाने पर उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में लिखा डंफर नंबर सही होना स्वीकार किया है। इसके बावजूद कथित घटना दिनांक व समय पर उक्त डंफर को कौन चला रहा था, इसके संबंध में कोई भी कथन करने में अस्मर्थ है।

- 8. प्रकरण में अन्य आहत दिनेशसिंह अ०सा० 4, रतीराम अ०सा० 5, चकपाण अ०सा० 6, कमलेश अ०सा० 7 तथा शंकरदास अ०सा० 10 अपने अभिसाक्ष्य में यह तथ्य अवश्य बताते हैं कि वे जीप से मुरैना जा रहे थे तभी बूटी कुईया के पास ग्वालियर तरफ से एक डंफर ने आकर उनकी जीप में टक्कर मार दी थी जिससे उन्हें चोटें आई थी। किन्तु अपने अभिसाक्ष्य में न तो यह बताने में समर्थ हैं कि कथित डंफर का नंबर क्या था, वह कैसे चल रहा था तथा उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षीगण को भी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में उनके पूर्वतन कथनों कमशः प्र०पी० 10 लगायत 13 एवं 18 के विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर साक्षीगण ने कथित डंफर एम०पी० ०६ ई 5531 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मार देने के तथ्य के संबंध में इंकार किया है। इस प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षीगण आहतगण द्वारा अभिकथित डंफर व उसके चालक के रूप में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है।
- 9. प्रकरण में चिकित्सक डा० जी०आर० शाक्य अ०सा० 2 ने दिनांक 11.06.10 को फरियादी शिवमोहन एवं अन्य आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना बताया है। शिवमोहन अ०सा० 1 दुर्घटना में उसे पीठ और हाथ में चोट आने का कथन करते हैं जबिक चिकित्सक डा० जी०आर० शाक्य अ०सा० 2 आहत द्वारा कमर में दर्द बताए जाने व कोई बाहरी चोट न पाए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रपी० 8 दिया जाना व उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। फरियादी शिवमोहन अ०सा० 1 के द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया जाना कि डंफर का नंबर उसने नहीं लिखाया बिक्क पुलिस घटनास्थल से डंफर ले आई थी, इस संबंध में अनुसंधानकर्ता बालकृष्ण अ०सा० 8 का कथन उल्लेखनीय है जो यह बताते हैं कि दिनांक 12.06.10 को उन्होंने अभियुक्त के कब्जे से डंफर क० एम०पी०—06 ई—5531 को जब्तकर जब्ती पत्रक प्र०पी० 15 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार से अभिकथित प्र०पी० 15 के दस्तावेज के अनुसार दि० 12.06.10 को अभियुक्त द्वारा थाना गोहद चौराहा पर लाए जाने का अभिलेख प्रस्तुत है जबिक फरियादी शिवमोहन

अ०सा० 1 पुलिस द्वारा डंफर को थाने लाए जाने का कथन करते हैं। अतः दोनों तथ्य परस्पर विरोधाभासी हैं।

- 10. रामकरन अ०सा० 3 मैकेनिकल जांचकर्ता हैं जो दिनांक 12.06.10 को जब्तशुदा डंफर एमपी०—06 ई—5531 की मैकेनिकल जांच करना बताते हैं। उसमें सामने दाहिनी ओर हैड लाईट क्षितिग्रस्त होने तथा सामने से बंफर अंदर की ओर दबा होने का कथन करते हैं। जांच रिपोर्ट प्र०पी० 9 के रूप में बताकर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। किन्तु उनकी साक्ष्य से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना के समय वाहन डंफर एम०पी०—06 ई 5531 अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाया जा रहा था। डा० एस०के० माहेश्वरी अ०सा० 9 की साक्ष्य आहत दिनेश व रतीराम के संबंध में एक्सरे परीक्षण की रिपोर्ट के प्रमाणीकरण के बारे में हैं। चूंकि उनका राजीनामा हो चुका है ऐसे में उनकी साक्ष्य औपचारिक रह जाती है तथा अभियुक्त के विरूद्ध उसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।
- प्रकरण में यदि तर्क के लिए यह मान लिया जावे कि दिनांक 11.06.10 को शाम करीब 5 बजे उक्त डंफर एम0पी0 06 ई 5531 से आहतगण की जीप की दुर्घटना कारित हुई किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अभियुक्त द्वारा ही उक्त वाहन को उस समय चलाया जा रहा था। आहत शिवमोहन अ०सा० 1 के द्वारा भी डंफर के चालक के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और बताने में अस्मर्थ है कि कौन चला रहा था। अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तृत किया है कि आहतगण का राजीनामा हो जाने से उनके द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। इस तर्क के संबंध में सर्वप्रथम तो साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है। उन्होंने कथित डंफर के चालक को न देख पाने का कथन किया है। साथ ही अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, मात्र कल्पना या उक्त साक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। अभियुक्त के आधिपत्य से घटना के एक दिन पश्चात थाने पर कथित डंफर की जब्ती प्र0पी0 15 के अनुसार कर लिए जाने के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अभियुक्त के घटना दिनांक व समय पर वाहन को चलाने के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नही हैं। जब्ती के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन युक्तियुक्त रूप से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने 11.06. 10 को 17 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड छीमका—बूटी कुईया के बीच वाहन डंफर कमांक एम0पी0–06 ई 5531 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन से टक्कर मारकर फरियादी शिवमोहन को उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि हो तो इस संबंध में प्रमाणपत्र बनाया जावे
- 14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

